प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी....बागोलिया....व भू.अ. निरिक्षक....रायपुर....तहसील रायपुर

महोदयजी,
मुताबिक प्रार्थनापत्र व दस्तावेजो के आधार ग्राम बागोलिया में ख.न. 146, 160 में नेना पि... दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड व अन्य द... मे नाथुराम पि दीपाराम रेगर दर्ज है अतः श्रीमानसे नि... की ग्राम बागोलिया के खाता 146, 160 में नेना पि दीपा... बजाय नाथुराम पि दीपाराम रेगर (16) किया जाना... है

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर की जांच सही है।

तहसीलदार (भू.अ.) रायपुर
जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
क्रमांक/प्रशा० संग/2021/बागोलिया/20/2021 दि. 11.10.2021

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का, जांच भू.अभि. निरीक्षक ...दार रायपुर व सलग्न दस्तावेजो के अनुसार राजस्व ग्राम बागो... की जमाबंदी संवत 20... खसरा नं. 146, 160 में खातेदार ने... दीपा के बजाय नाथुराम पि दीपा... शुद्ध किया जावे, तदनुसार र... रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:11:15 IST
Reason: SelfAttested

24.11.2021
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

नानुराम पुत्र दीपा रेगर निवासी बागोलिया तहसील रायपुर प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 मु0नं0 20 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
दिनांक– 11-10-2021	प्रार्थी नानुराम पुत्र दीपा रेगर निवासी बागोलिया तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम अर्जुनगढ़ के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2076–2079 में शामलाती खाता संख्या 146 में किता 3 रकबा 1.73 है0 व खाता संख्या 160 में किता 17 रकबा 3.63 है0 भूमि प्रार्थी के स्वयं का नाम नेनु पुत्र दीपा रेगर सा. देह के नाम पर सहखातेदार से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के नाम नानुराम पुत्र दीपा रेगर के बजाय नेनु पुत्र दीपा रेगर अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम नानुराम पुत्र दीपा रेगर है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम अर्जुनगढ़ के खाता संख्या 146, 160 में खातेदार नेनु पुत्र दीपा रेगर के बजाय नानुराम पुत्र दीपा रेगर दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार नेनु पुत्र दीपा रेगर के बजाय नानुराम पुत्र दीपा रेगर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:11:15 IST Reason: SelfAttested 11.10.2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा